राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1830/2024

संगीता चौधरी पुत्री शिव रतन चौधरी, आयु लगभग 39 वर्ष, मकान संख्या 450, ए-रोड, साही ज्योति स्कूल के सामने, सारण नगर, अजमेर रोड, जोधपुर - 342015 (राजस्थान), जिला जोधपुर (राजस्थान)

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के माध्यम से।
2. एम.बी.एम. विश्वविद्यालय जोधपुर, अपने रजिस्ट्रार, जोधपुर के माध्यम से।

---प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्री एच.एस. चुंडावत
प्रतिवादी(ओं) के लिए: श्री एस.पी. जोशी
श्री सुनील जोशी

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

आदेश

23/02/2024

1. याचिकाकर्ता की शिकायत अन्य बातों के साथ-साथ, एक विज्ञापन संख्या 01/2023 दिनांक 07.10.2023 (अनुलग्नक 1) के अनुसार एसोसिएट प्रोफेसर (सिविल इंजीनियरिंग) के पद के लिए आवेदन पत्र भरते समय अनजाने में हुई गलती को सुधारने के संबंध में

उसके दिनांक 24.01.2024 (अनुलग्नक 3) के अभ्यावेदन पर विचार न किए जाने के संबंध में है।

2. पहले प्रासंगिक तथ्य। यहाँ मामला एमबीएम यूनिवर्सिटी जोधपुर के विज्ञापन संख्या 01/2023 दिनांक 07.10.2023 के माध्यम से सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर पदों के लिए भर्ती अभियान से जुड़ा है। याचिकाकर्ता, एसोसिएट प्रोफेसर (सिविल इंजीनियरिंग) की भूमिका के लिए पात्र होने के कारण, 18.11.2023 की समय सीमा से पहले आवेदन किया और 28.11.2023 तक सभी आवश्यक दस्तावेज जमा किए। हालांकि, आवेदन पत्र भरते समय याचिकाकर्ता द्वारा पहचानी गई गलत श्रेणी के तहत शोध पत्र विवरण सूचीबद्ध करने में अनजाने में त्रुटि हुई। इस त्रुटि को संबोधित करते हुए एक प्रतिनिधित्व 24.02.2024 को एमबीएम विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया गया था। यदि इस प्रतिनिधित्व पर विचार किया जाता है, तो संभावित रूप से याचिकाकर्ता के अंकों में 08 तक की वृद्धि हो सकती है, जो संभवतः उसके चयन की संभावनाओं को प्रभावित कर सकती है। कई व्यक्तिगत अनुरोधों के बावजूद, अधिकारियों ने अभी तक याचिकाकर्ता की वास्तविक शिकायत का समाधान नहीं किया है। इसलिए तत्काल याचिका।

3. सुनवाई की गई ।

4. संक्षिप्त विवाद यह है कि क्या याचिकाकर्ता द्वारा एसोसिएट प्रोफेसर (सिविल इंजीनियरिंग) के पद पर चयन के लिए उसके क्रेडेंशियल के हिस्से के रूप में विचार करने के लिए प्रस्तुत शोध पत्र (अनुलग्नक-4 का हिस्सा) को केवल याचिकाकर्ता द्वारा 'शोध पत्र' के बजाय 'सम्मेलन पत्र' के रूप में लेबल करने में की गई अनजाने में हुई त्रुटि के कारण खारिज कर दिया जाना चाहिए।

5. याचिका पर एक रिटर्न दाखिल किया गया है जिसमें कहा गया है कि अगर इसे 'शोध पत्र' के रूप में लेबल किया गया होता, तो इस पर विचार किया जाता। हालांकि, चूंकि याचिकाकर्ता ने खुद इसे 'सम्मेलन पत्र' के रूप में लेबल किया था, इसलिए इस पर विचार नहीं किया गया। शोध पत्र की सामग्री की सटीकता पर सवाल नहीं है। न ही प्रतिवादियों का यह तर्क है कि अगर याचिकाकर्ता ने इसे 'शोध पत्र' के रूप में लेबल किया होता, तो वे इस पर विचार नहीं करते।

6. इस आधार पर, मेरा मानना है कि यह देखते हुए कि यह याचिकाकर्ता की ओर से एक अनजाने में की गई गलती थी, उसे ऐसे गंभीर परिणामों के अधीन नहीं किया जाना चाहिए कि उसके द्वारा किए गए शोध प्रयास को मान्यता देने से इनकार कर दिया जाए।

7. अधिक से अधिक, उसके द्वारा की गई गलती को जानबूझकर गलत बयानी या किसी कानूनी अनियमितता के रूप में लेबल किए जाने के बजाय एक महत्वहीन अनियमितता माना जा सकता है।

8. परिणामस्वरूप, याचिका को अनुमति दी जाती है। प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता के शोध पत्र (अनुलग्नक-4 का भाग) को उसकी योग्यता के भाग के रूप में मानें तथा कानून के अनुसार आगे बढ़ें।

9. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा**),** न्यायाधीश

रिपोर्टिंग के लिए फिट है या नहीं- हां/नहीं

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।